


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत गोविन्द कुमार पिता- नंदकिशोर साव; ग्राम: आरा, थाना : बालुमाथ जिला : लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु थाना सं. 56 (रेयती भूमि) के खाता सं.-3: के अधीन प्लॉट सं. -2483; खाता सं.-191; के अधीन प्लॉट सं.-2456, खाता सं.- 3: के अधीन प्लॉट सं. -2483; ग्राम: आरा थाना सं. 55 (रेयती भूमि) के खाता सं. -31: के अधीन प्लॉट सं. -197: कुल रकबा: - 02.00 एकड़ (रेयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (मगध - सघमित्रा), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


05/03/25